2810

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017 Dated Shimla-171002, the 20-1-2018

Order

Sub :- **Diversion of 21.0557 ha of forest land in favour of M/s Cosmos Hydro Power Pvt. Ltd. for the construction of Chanju-II HEP (19.8MW) within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/01/16/2015/1693 dated 15-01-18** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **21.0557 ha** वन भूमि को **M/s Cosmos Hydro Power Pvt. Ltd.** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Talmehra/Shamlat Panjora 53A/2/SE village Pallian, Tehsil Bangana, District Una में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **21.0557** है० गैर– वन (निजी) भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा गैर वन भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रिय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

4 प्रयोक्ता अभिकरण CAT Plan के अन्तर्गत जमा धनराशि की शेष installments शीघ्र कैम्पा शेष में online portal द्वारा जमा करेगी एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को वन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

5 User Agency will deposit 2.5% of the total project cost as prevailing CAT plan charges levied in the State as CAT Plan levy and this amount will be utilized as a pooled resource in implementing the comprehensive CAT Plan of Ravi river basin.

6 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहँचे।

8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

S(FCA)
APCCF(FCA)

PCCF 3968 20/1/18
27/1/18

10 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 291 वृक्षों से अधिक न हो।

11 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Pillar no., Forward तथा Back bearing तथा distance between pillars की दूरी भी अंकित कि जाएगी।

12 निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाती के पौधों का रोपण किया जाएगा।

13 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.

14 The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

15 The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transfered to any other agency, department or person " without prior approval of Govt. of India."

16 User agency shall submit the annual report on compliance to conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.

17 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Kinnaur, HP.

18 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

19 वन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र फाईल संख्या 7-25/2012-AC दिनांक् 24–10–2016 से जारी वन क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए दिशानिर्देश का पूर्णतया पालन किया जाए।

20 यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के मुताबिक पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करेगी।

21 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

22 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

2/3
Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-6/2017** (FCA) Dated, Shimla-171001 the,..20-1-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- CCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Chamba Distt., Chamba, Himachal Pradesh
6. DFO Chamba Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7. M/s Cosmos Hydro Power Pvt.Ltd.
8. Guard File.

(Gopal Sharma)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.